प्राचार्य
राजकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

संविदा

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446] भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2000—आषाढ़ 21, शक 1922

तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2000

क्र. एफ. 1-35-2000-बयालीस-1.—यतः राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो गया है कि:—

(एक) कर्मचारियों के कतिपय प्रवर्गों में कतिपय रिक्तियां अल्प समय के भीतर भरी जाएं;

(दो) कतिपय स्थानों पर पदस्थापना को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कर्मचारियों के इन प्रवर्गों को संविदा आधार पर, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्त किया जाए.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग के अधीन सेवा के कतिपय प्रवर्गों पर संविदा आधार पर भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा, पालीटेकनिक (अध्यापन संवर्ग) (संविदा सेवा) (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2000 है.

(2) किन्हीं अन्य नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ये नियम संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्गों को ही होंगे, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ख) "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की समिति.

3. वेतन.—किसी पद का वेतन उतना होगा, जैसा कि उक्त पद के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए.

4. नियुक्ति का तरिका.—(1) अनुसूची में उल्लिखित पदों के प्रवर्गों पर समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से गिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी.

(2) अभ्यर्थी के पास आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को, अनुसूची में यथा उपबंधित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव होना चाहिए.

(3) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन मानदण्ड,—

पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में अंक दिए जाएंगे:—

(एक) प्राध्यापक/प्रोग्रामर/सहायक कर्मशाला अधीक्षक,

(क) विहित अर्हता	60 (अधिकतम) (न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)
(ख) एमई/एम.टेक/एम.फिल अपाधि	10 अंक
(ग) पी.एच.डी. उपाधि	10 अंक
(घ) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव (एक अंक प्रतिवर्ष)	05 अंक
(ङ) साक्षात्कार	15 अंक

(दो) प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/कर्मशाला अधीक्षक/टीपीओ/सिस्टम एनेलिस्ट (इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी)टेक्नालाजी.

(क) विहित अर्हता	70 (अधिकतम) (न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)
(ख) पी.एच.डी. उपाधि	10 अंक
(ग) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव (एक अंक प्रतिवर्ष)	05 अंक
(ङ) साक्षात्कार	15 अंक

(तीन) विभागाध्यक्ष (विज्ञान तथा मानविकी)

(क) विहित अर्हता	80 (अधिकतम) (न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)
(ख) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव (एक अंक प्रतिवर्ष)	05 अंक
(ग) साक्षात्कार	15 अंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.		इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग				पी.एच.डी. के साथ मानविकी तथा विज्ञान की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री. तथा प्राध्यापक या समतुल्य स्तर पर 5 वर्ष का अध्यापन/उद्योग/अनुसंधान में अनुभव. या			
4.		इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार.						
5.		आर्किटेक्चर						
6.		खनन (माइनिंग) इंजीनियरिंग.						
7.		खनन सर्वेक्षण						
8.		मेटलार्जी						
9.		फार्मेसी						
10.		कम्प्यूटर एप्लीकेशन..						
11.		आधुनिक कार्यालय प्रबंधन.						
12.		सी. डी. डी. एम.						
13.		आंतरिक सजावट						
14.		मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नॉलॉजी.						
15.		अनुरक्षण सेवा						
16.		रैफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग.						
17.		कम्प्यूटर साईंस तथा इंजीनियरिंग.						
18.		रूरल इंजीनियरिंग						
19.		सीमेंट टेक्नॉलॉजी						
20.		इन्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग.						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	21.	ई. पी. ओ.						
	22.	वर्कशॉप अधीक्षक						
	23.	फूड टेक्नॉलॉजी						
	24.	गारमेंट टेक्नॉलॉजी						
	25.	ब्यूटी कल्चर						
	26.	टेक्सटाइल डिजाईन						
	27.	सिस्टम एनॉलिस्ट						
तीन		प्राध्यापक	रु. 8000-275-13500/- (ए.आई.सी.टी.ई.)	22	51	इंजीनियरिंग/टेक्नॉलॉजी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री.	1. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय—अध्यक्ष (डी. टी. ई. द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा).	संचालक, तकनीकी शिक्षा
	1.	सिविल इंजीनियरिंग				या	2. प्राचार्य—सदस्य पालीटेकनिक (नियमित)	
	2.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग				मानविकी तथा विज्ञान के अध्यापन पदों की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री.	3. प्राचार्य—सदस्य पालीटेकनिक (डी.टी.ई. द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा). 4. दो विषय—सदस्य विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) (डिवीजन के बाहर)	
	3.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग						
	4.	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार (टेली-कम्युनिकेशन)						
	5.	आर्किटेक्चर						
	6.	खनन इंजीनियरिंग						
	7.	खान सर्वेक्षण						
	8.	मेटलर्जी						
	9.	[illegible]						
	10.	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]						

11.	आधुनिक कार्यालय प्रबंधन.(मॉडर्न आफिस-मैनेजमेंट)
12.	डी. डी. डी. एम.
13.	आंतरिक सजावट (इंटीरियर डेकोरेशन)
14.	मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नॉलॉजी.
15.	रेफ्रिजिरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग.
16.	कम्प्यूटर साइंस तथा इंजीनियरिंग.
17.	रूरल इंजीनियरिंग
18.	सीमेंट टेक्नॉलॉजी
19.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन टेक्नॉलॉजी
20.	डी. पी. ओ.
21.	फूड टेक्नॉलॉजी
22.	गारमेंट टेक्नॉलॉजी
23.	ब्यूटी कल्चर
24.	टेक्सटाइल डिजाईन
25.	एप्लाइड जियालॉजी
26.	भौतिक शास्त्र
27.	रसायन शास्त्र
28.	गणित
29.	अंग्रेजी
30.	इंजीनियरिंग केमिस्ट्री
31.	लीव रिजर्व प्राध्यापक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32.	सिस्टम एनेलिस्ट (श्रेणी-1)		रु.10,000/- 325-15,200. (राज्य वेतनमान)	30	51	कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर साइंस तथा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक स्तर उपाधि. तथा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/लोक उपक्रम संगठन के कम्प्यूटर केन्द्र में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव	—तदैव— —तदैव—	—तदैव— —तदैव—
						—तदैव—		
32.	सिस्टम एनेलिस्ट (श्रेणी-2)		रु.8000/- 275-13500. (राज्य वेतनमान)	22	51	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या गणित/भौतिक शास्त्र/सांख्यिकी/ऑपरेशन रिसर्च में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ सरकारी/अर्द्ध सरकारी/लोक उपक्रम में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का तीन वर्ष का अनुभव	—तदैव—	—तदैव—
33.	प्रोग्रामर		रु.8000/- 275-13500. (राज्य वेतनमान)	22	51	या मध्यप्रदेश बी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा के साथ सरकारी/अर्द्ध सरकारी/लोक उपक्रम के किसी कम्प्यूटर केन्द्र में प्रोग्रामिंग का एक वर्ष का अनुभव. कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स में प्रथम श्रेणी में मास्टर्स डिग्री.		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. दुबे, उपसचिव.

(4) समिति, अभ्यर्थी के अपने शैक्षणिक कैरियर में प्रदर्शन अर्थात् उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा अन्य वृतिक क्षेत्र आदि में प्रदर्शन और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर, जिसके लिए अंक दिए जाएंगे, अपना मूल्यांकन करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें करेगी और ऐसे अंकों के 15 प्रतिशत से अधिक अंक उसके वैयक्तिक साक्षात्कार में प्रदर्शन के लिए दिए जाने चाहिए.

(5) ऐसे चयन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् ही भरी जाएंगी.

(6) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के कम से कम तीन गुनी संख्या में अभ्यर्थियों को चयन के लिए साक्षात्कार में बुलाया जाएगा.

5. पदावधि.—(1) संविदा आधार पर इस प्रकार नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी की पदावधि 3 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए होगी. ऐसी कालावधि के अवसान पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी.

(2) तथापि कोई व्यक्ति, यदि वह चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाए तो नए सिरे से संविदा पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा. ऐसा व्यक्ति नई नियुक्ति पर ऐसे वेतन के लिए, जो वह अपनी पिछली नियुक्ति के दौरान प्राप्त कर रहा था, एक वेतनवृद्धि के साथ हकदार होगा.

6. आयु.—न्यूनतम तथा अधिकतम आयु ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए.

7. अन्य शर्तें.—(1) इन नियमों के अधीन कोई नियुक्ति, प्रवर्ग में रिक्त पद के विरूद्ध ही की जाएगी;

स्पष्टीकरण.—रिक्त पद से अभिप्रेत है उस प्रवर्ग में रिक्त पद और उसमें ऐसा पद सम्मिलित है जिसके एक वर्ष से अधिक की लगातार कालावधि के लिए रिक्त बने रहने की संभावना है.

(2) इन नियमों के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्तियां आरक्षण के लिए विधि या नियमों द्वारा शासित होंगी, जैसे :—

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित रखें जाऐंगे. इस प्रयोजन के लिए रोस्टर राज्य स्तर पर रखा जाएगा.

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा.

(ग) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा.

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, पेंशन तथा उससे संबंधित फायदों के लिये हकदार नहीं होगा.

(5) इन नियमों के अधीन सेवाएं, दोनों में से किसी भी एक ओर से एक मास की सूचना द्वारा या उसके बदले में एक मास का वेतन देकर, पदावधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय समाप्त की जाएंगी.

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, वैसी ही चिकित्सीय सुविधाओं तथा यात्रा भत्तों का हकदार होगा, जो कि समतुल्य वेतन पाने वाले राज्य के अन्य कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं.

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ऐसे भविष्य निधि फायदों का भी हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किया जाए.

(8) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन की ऐच्छिक छुट्टी का हकदार होगा, किन्तु वह किसी अन्य प्रकार के अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा.

(9) संविदा नियुक्ति एक विशिष्ट संस्था के लिए ही होगी.

(10) संविदा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी, ए.आई.सी.टी.ई. सन्नियमों के अनुसार उच्चतर अर्हता के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्र होगा.

(11) सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जैसी कि उसके नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं.

अनुसूची

अनु क्र.	विभाग का नाम	पद के प्रवर्ग का नाम	वेतन	आयु न्यूनतम	आयु अधिकतम	अर्हता	चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
एक	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन.	प्राचार्य	रु. 16400-450-20000. (ए.आई.सी.टी.ई.)	40	59	स्नातकोत्तर या स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में मास्टर्स डिग्री तथा अध्यापन में 15 वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष विभागाध्यक्ष या समतुल्य स्तर पर रहने के हों या इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीकी शिक्षा की समुचित शाखा में पी-एच.डी. तथा अध्यापन में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष विभागाध्यक्ष या समतुल्य स्तर पर रहने के हों.	1. संचालक, तकनीकी शिक्षा—अध्यक्ष. 2. संचालक, टी. टी. टी. आई., भोपाल—सदस्य 3. इंजीनियरिंग महाविद्यालय के दो प्राचार्य—सदस्य. 4. मध्यप्रदेश के बाहर के आर. ई. सी. के. प्राचार्य—सदस्य.	सरकार
दो	—तदैव—	विभागाध्यक्ष	रु. 12000-420-18300. (ए.आई.सी.टी.ई.)	35	55	स्नातकोत्तर (मास्टर्स) या स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (टेक्नॉलांजी) की समुचित शाखा में मास्टर्स डिग्री. तथा प्राध्यापक या समतुल्य पद के स्तर पर 5 वर्ष का अध्यापन/उद्योग/अनुसंधान में अनुभव या	1. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय—अध्यक्ष (डी. टी. ई. द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा) 2. प्राचार्य—सदस्य पालीटेकनिक (नियमित) 3. प्राचार्य—सदस्य पालीटेकनिक (डी.टी.ई.) द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा. 4. दो विषय—सदस्य विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) (डिवीजन के बाहर)	संचालक, तकनीकी शिक्षा
	1. सिविल इंजीनियरिंग							
	2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग							

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2000

क्र. एफ.1-35-2000-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-35-2000-बयालीस-1, दिनांक 12 जुलाई 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. दुबे, उपसचिव.

Bhopal, the 12th July 2000

No. F. 35-2000-XLII-1.—WHEREAS, in the opinion of the State Goverment it has become necessary that—

(i) to fill up certain vacancies in certain categories of employees within short time;

(ii) to curb the tendency of avoiding, posting at certain places, those categories of employees should be appointed on contract basis for a specified period.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to certain categories of services on contract basis under the Department of Technical Education and Man Power Planning, namely :—

RULES

1. **Short title, Application and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh, Technical Education, Polytechnic (Teaching Cadre) Contract Services (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2000.

(2) Notwithstanding anything contained in any other rules these rules shall apply for such categories of employees appointed on contract basis as may be specified in the scheduled from tome to time by the State Government by notification.

(3) They shall come into force with effect from the date of publication of these rules in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires;—

(a) "Appointing Authority" Appointing Authority in respect of a post means the authrity specified in the scheduled for the concerned category;

(b) "AICTE" AICTE means the All India Council for Technical Education;

(c) "Government" Government means the Government of Madhya Pradesh;

(d) ""Selection Committee" Selection Committee means the committee of persons specified in the Schedule for the concerned category.

3. **Pay.**—Pay of a post shall be such as specified in the scheduled for the said post.

4. **The Method of Appointments.**—(1) All appointment to the categories of posts mentioned in the sheedule shall be made by the appointing authority on the basis of recommendation by the Selection Committee consisting of persons specified in the schedule.

प्राचार्य
शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

संविदा (1)

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446] भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2000—आषाढ़ 21, शक 1922

तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2000

क्र. एफ. 1-35-2000-बयालीस-1.—यतः राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो गया है कि:—

(एक) कर्मचारियों के कतिपय प्रवर्गों में कतिपय रिक्तियां अल्प समय के भीतर भरी जाएं;

(दो) कतिपय स्थानों पर पदस्थापना को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कर्मचारियों के इन प्रवर्गों को संविदा आधार पर, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्त किया जाए.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग के अधीन सेवा के कतिपय प्रवर्गों पर संविदा आधार पर भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा, पालीटेकनिक (अध्यापन संवर्ग) (संविदा सेवा) (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2000 है.

(2) किन्हीं अन्य नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ये नियम संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्गों को ला होंगे, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ख) "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की समिति.

3. वेतन.—किसी पद का वेतन उतना होगा, जैसा कि उक्त पद के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए.

4. नियुक्ति का तरिका.—(1) अनुसूची में उल्लिखित पदों के प्रवर्गों पर समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी.

(2) अभ्यर्थी के पास आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को, अनुसूची में यथा उपबंधित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव होना चाहिए.

(3) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन मानदण्ड,—

पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में अंक दिए जाएंगे:—

(एक) प्राध्यापक/प्रोग्रामर/सहायक कर्मशाला अधीक्षक,

(क) विहित अर्हता	60 (अधिकतम) (न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)
(ख) एमई/एम.टेक/एम.फिल अपाधि	10 अंक
(ग) पी.एच.डी. उपाधि	10 अंक
(घ) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव (एक अंक प्रतिवर्ष)	05 अंक
(ङ) साक्षात्कार	15 अंक

(दो) प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/कर्मशाला अधीक्षक/टीपीओ/सिस्टम एनेलिस्ट (इंजीनियरिंग/प्रोद्योगिकी)टेक्नालाजी.

(क) विहित अर्हता	70 (अधिकतम) (न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)
(ख) पी.एच.डी. उपाधि	10 अंक
(ग) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव (एक अंक प्रतिवर्ष)	05 अंक
(ङ) साक्षात्कार	15 अंक

(तीन) विभागाध्यक्ष (विज्ञान तथा मानविकी)

(क) विहित अर्हता	80 (अधिकतम) (न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)
(ख) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव (एक अंक प्रतिवर्ष)	05 अंक
(ग) साक्षात्कार	15 अंक

(4) समिति, अभ्यर्थी के अपने शैक्षणिक कैरियर में प्रदर्शन अर्थात् उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा अन्य वृतिक क्षेत्र आदि में प्रदर्शन और ... में प्रदर्शन के आधार पर, जिसके लिए अंक दिए जाएंगे, अपना मूल्यांकन करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें करेगी और ऐसे अंकों ... 15 प्रतिशत में अधिकतम अंक उसके वैयक्तिक साक्षात्कार में प्रदर्शन के लिए दिए जाने चाहिए.

(5) ऐसे चयन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् ही ... जाएगी.

(6) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के कम से कम तीन गुनी संख्या में अभ्यर्थियों को चयन के लिए साक्षात्कार में बुलाया जाएगा.

5. पदावधि.—(1) संविदा आधार पर इस प्रकार नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी की पदावधि 3 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए होगी. ऐसी कालावधि के अवसान पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी.

(2) तथापि कोई व्यक्ति, यदि वह चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाए तो नए सिरे से संविदा पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा. ऐसा व्यक्ति नई नियुक्ति पर ऐसे वेतन के लिए, जो वह अपनी पिछली नियुक्ति के दौरान प्राप्त कर रहा था, एक वेतनवृद्धि के साथ हकदार होगा.

6. आयु.—न्यूनतम तथा अधिकतम आयु ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए.

7. अन्य शर्तें.—(1) इन नियमों के अधीन कोई नियुक्ति, प्रवर्ग में रिक्त पद के विरूद्ध ही की जाएगी;

स्पष्टीकरण.—रिक्त पद से अभिप्रेत है उस प्रवर्ग में रिक्त पद और उसमें ऐसा पद सम्मिलित है जिसके एक वर्ष से अधिक की लगातार कालावधि के लिए रिक्त बने रहने की संभावना है.

(2) इन नियमों के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्तियां आरक्षण के लिए विधि या नियमों द्वारा शासित होंगी, जैसे :—

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित रखें जाएंगे. इस प्रयोजन के लिए रोस्टर राज्य स्तर पर रखा जाएगा.

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा.

(ग) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा.

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, पेंशन तथा उससे संबंधित फायदों के लिये हकदार नहीं होगा.

(5) इन नियमों के अधीन सेवाएं, दोनों में से किसी भी एक ओर से एक मास की सूचना द्वारा या उसके बदले में एक मास का वेतन देकर, पदावधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय समाप्त की जाएंगी.

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, वैसी ही चिकित्सीय सुविधाओं तथा यात्रा भत्तों का हकदार होगा, जो तत्समान वेतन पाने वाले राज्य के अन्य कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं.

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ऐसे भविष्य निधि फायदों का भी हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर, अवधारित किया जाए.

(8) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन की ऐच्छिक छुट्टी का हकदार होगा, किन्तु वह किसी अन्य प्रकार के अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा.

(9) संविदा नियुक्ति एक विशिष्ट संस्था के लिए ही होगी.

(10) संविदा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी, ए.आई.सी.टी.ई. सन्नियमों के अनुसार उच्चतर अर्हता के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्र होगा.

(11) सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि उसके नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं.

अनुसूची

अनु क्र.	विभाग का नाम	पद के प्रवर्ग का नाम	वेतन	आयु न्यूनतम	आयु अधिकतम	अर्हता	चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
एक	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन.	प्राचार्य	रु. 16400-450-20000. (ए.आई.सी.टी.ई.)	40	59	स्नातकोत्तर या स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में मास्टर्स डिग्री तथा अध्यापन में 15 वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष विभागाध्यक्ष या समतुल्य स्तर पर रहने के हों या इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीकी शिक्षा की समुचित शाखा में पी-एच.डी. तथा अध्यापन में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष विभागाध्यक्ष या समतुल्य स्तर पर रहने के हों.	1. संचालक, तकनीकी शिक्षा—अध्यक्ष. 2. संचालक, टी. टी. टी. आई., भोपाल—सदस्य 3. इंजीनियरिंग महाविद्यालय के दो प्राचार्य—सदस्य. 4. मध्यप्रदेश के बाहर के आर. ई. सी. के. प्राचार्य—सदस्य.	सरकार
दो	—तदैव—	विभागाध्यक्ष	रु. 12000-420-18300. (ए.आई.सी.टी.ई.)	35	55	स्नातकोत्तर (मास्टर्स) या स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (टेक्नॉलांजी) की समुचित शाखा में मास्टर्स डिग्री. तथा प्राध्यापक या समतुल्य पद के स्तर पर 5 वर्ष का अध्यापन/उद्योग/अनुसंधान में अनुभव या	1. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय—अध्यक्ष (डी. टी. ई. द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा) 2. प्राचार्य—सदस्य पालीटेकनिक (नियमित) 3. प्राचार्य—सदस्य पालीटेकनिक (डी.टी.ई.) द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा. 4. दो विषय—सदस्य विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) (डिवीजन के बाहर) —सदस्य	संचालक, तकनीकी शिक्षा
	1. सिविल इंजीनियरिंग							
	2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग					पी.एच.डी. के साथ मानविकी तथा विज्ञान की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री.		
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार.					तथा		
5.	आर्किटेक्चर					प्राध्यापक या समतुल्य स्तर पर 5 वर्ष का अध्यापन/उद्योग/अनुसंधान में अनुभव. या		
6.	खनन (माइनिंग) इंजीनियरिंग.							
7.	खनन सर्वेक्षण							
8.	मेटलार्जी							
9.	फार्मेसी							
10.	कम्प्यूटर एप्लीकेशन..							
11.	आधुनिक कार्यालय प्रबंधन.							
12.	सी. डी. डी. एम.							
13.	आंतरिक सजावट							
14.	मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नॉलॉजी.							
15.	अनुरक्षण सेवा							
16.	रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग.							
17.	कम्प्यूटर साईंस तथा इंजीनियरिंग.							
18.	रूरल इंजीनियरिंग							
19.	सीमेंट टेक्नॉलॉजी							
20.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग.							

—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	21.	डी. पी. ओ.						
	22.	वर्कशॉप अधीक्षक						
	23.	फूड टेक्नॉलॉजी						
	24.	गारमेंट टेक्नॉलॉजी						
	25.	ब्यूटी कल्चर						
	26.	टेक्सटाइल डिजाईन						
	27.	सिस्टम एनॉलिस्ट						
तीन		अध्यापक	रु. 8000-275-13500/- (ए.आई.सी.टी.ई.)	22	51	इंजीनियरिंग/टेक्नॉलॉजी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री. या	1. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय—अध्यक्ष (डी. टी. ई. द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा). 2. प्राचार्य—सदस्य पालीटेकनिक (नियमित)	संचालक, तकनीकी शिक्षा
	1.	सिविल इंजीनियरिंग					3. प्राचार्य—सदस्य पालीटेकनिक (डी.टी.ई. द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा). 4. दो विषय—सदस्य विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) (डिवीजन के बाहर)	
	2.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग				मानविकी तथा विज्ञान के अध्यापन पदों की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री.		
	3.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग						
	4.	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार (टेली-कम्युनिकेशन)						
	5.	आर्किटेक्चर						
	6.	खनन इंजीनियरिंग						
	7.	खान सर्वेक्षण						
	8.	मेटलर्जी						
	9.	फार्मेसी						
	10.	[illegible] कम्प्यूटर)						
		[illegible]						

10. कम्प्यूटर एप्लीकेशन

11. आधुनिक कार्यालय प्रबंधन (मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट)

12. डी. डी. डी. एम.

13. आंतरिक सजावट (इंटीरियर डेकोरेशन)

14. मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नॉलॉजी.

15. रेफ्रिजिरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग.

16. कम्प्यूटर साईंस तथा इंजीनियरिंग.

17. रूरल इंजीनियरिंग

18. सीमेंट टेक्नॉलॉजी

19. इन्स्ट्रूमेन्टेशन टेक्नॉलॉजी

20. टी. पी. ओ.

21. फूड टेक्नॉलॉजी

22. गारमेंट टेक्नॉलॉजी

23. ब्यूटी कल्चर

24. टेक्सटाइल डिजाईन

25. एप्लाइड जियालॉजी

26. भौतिक शास्त्र

27. रसायन शास्त्र

28. गणित

29. अंग्रेजी

30. इंजीनियरिंग केमिस्ट्री

31. लीव रिजर्व प्राध्यापक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32.		सिस्टम एनेलिस्ट (श्रेणी-1)	रु.10,000/- 325-15,200. (राज्य वेतनमान)	30	51	कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर साइंस तथा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक स्तर उपाधि. तथा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/लोक उपक्रम संगठन के कम्प्यूटर केन्द्र में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव —तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
32.		सिस्टम एनेलिस्ट (श्रेणी-2)	रु.8000/- 275-13500. (राज्य वेतनमान)	22	51	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या गणित/भौतिक शास्त्र/सांख्यिकी/ऑपरेशन रिसर्च में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ सरकारी/अर्द्ध सरकारी/लोक उपक्रम में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का तीन वर्ष का अनुभव या मध्यप्रदेश बी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/ पोस्ट डिप्लोमा के साथ सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ लोक उपक्रम के किसी कम्प्यूटर केन्द्र में प्रोग्रामिंग का एक वर्ष का अनुभव.	—तदैव—	—तदैव—
33.		प्रोग्रामर	रु.8000/- 275-13500. (राज्य वेतनमान)	22	51	कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स में प्रथम श्रेणी में मास्टर्स डिग्री.		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2000

क्र. एफ.1-35-2000-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-35-2000-बयालीस-1, दिनांक 12 जुलाई 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. दुबे, उपसचिव.

Bhopal, the 12th July 2000

No. F. 35-2000-XLII-1.—WHEREAS, in the opinion of the State Goverment it has become necessary that—

(i) to fill up certain vacancies in certain categories of employees within short time;

(ii) to curb the tendency of avoiding, posting at certain places, those categories of employees should be appointed on contract basis for a specified period.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to certain categories of services on contract basis under the Department of Technical Education and Man Power Planning, namely :—

RULES

1. **Short title, Application and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh, Technical Education, Polytechnic (Teaching Cadre) Contract Services (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2000.

(2) Notwithstanding anything contained in any other rules these rules shall apply for such categories of employees appointed on contract basis as may be specified in the scheduled from tome to time by the State Government by notification.

(3) They shall come into force with effect from the date of publication of these rules in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires;—

(a) "Appointing Authority" Appointing Authority in respect of a post means the authrity specified in the scheduled for the concerned category;

(b) "AICTE" AICTE means the All India Council for Technical Education;

(c) "Government" Government means the Government of Madhya Pradesh;

(d) ""Selection Committee" Selection Committee means the committee of persons specified in the Schedule for the concerned category.

3. **Pay.**—Pay of a post shall be such as specified in the scheduled for the said post.

4. **The Method of Appointments.**—(1) All appointment to the categories of posts mentioned in the sheedule shall be made by the appointing authority on the basis of recommendation by the Selection Committee consisting of persons specified in the schedule.